1444 hours

MATTERS UNDER RULE 377

Need to provide funds to State Government of Rajasthan for Providing relief to the people affected by drought in Bawanvas Region

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति महोद्या, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है और राजस्थान का काफी क्षेत्र असिंचित है। वर्षा न होने पर जनता और पशुओं के सामने रोजी, रोटी, चारे तथा पीने योग्य पानी की गम्भीर समस्या होती है।

इस वर्ष 32 जिलों में से 26 जिलों को राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र एवं गांव बावनवासी और बोली ब्लाक को जल की दृष्टि से डार्क जोन चिन्हित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार का भूमि जल क्षेत्र नहीं है। यहां के तालाबों, कुओं का पानी एक माह पूर्व सूख गया है और गांव वाले पानी के अभाव में गांव से पलायन कर रहे हैं, जिनके पास बैलगाड़ी या ट्रैक्टर आदि हैं, वे 8-10 किलोमीटर की दूरी से पानी ला रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बावनवास विधान सभा क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और ये लोग कृषि व पशुपालन पर आधारित हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री महोद्य से आग्रह करना चाहती हूं कि राजस्थान के बावनवास विधानसभा क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करवा कर क्षेत्र में राहत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने हेतु समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करें।